राजस्व अपील संख्या **295 / 2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. दलाराम पुत्र खंगारराम 2. देवीसिंह पुत्र दलाराम 3. पदमाराम पुत्र खंगारराम जाति–जाट निवासीगण–गेनाणी कड़वासरों की ढाणी खड़ीन तहसील रामसर जिला बाड़मेर		1. गुमानाराम पुत्र खरथाराम 2. मालाराम पुत्र खरथाराम 3. चौखाराम पुत्र खरथाराम 4. गोरधनराम उर्फ गोरधनसिंह पुत्र खरथाराम 5. श्रीमति मगी देवी पत्नी मोतीराम जाति–जाट निवासीगण गेनाणी कड़वासरों की ढाणी खड़ीन तहसील रामसर जिला बाड़मेर 6. पनाराम पुत्र खेताराम 7. हेमाराम पुत्र हरदानराम 8. मोहन राम पुत्र जोधाराम 9. हिमताराम पुत्र रिडमलराम 10. मगाराम पुत्र आईदानराम 11. ओमप्रकाश पुत्र हेमाराम 12. नारायणराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासीगण गेनाणी कड़वासरों की ढाणी खड़ीन तहसील रामसर जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 20.03.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामसर बमुकदमा संख्या 641/2017 अनवान गुमनाराम वगैराह बनाम दलाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत, भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री महावीर पारिक, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 12 की ओर से ।
4– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 20 जनवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नंबर 587/241 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न0 589/241 रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 596/251 रकबा 46 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 250 गैर मुमकिन, खसरा नंबर 245 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 244 रकबा 1 बीघा 4 ब्रिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 237 रकबा 8 बिस्वा कुल रकबा 111 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के खेतों के पास अप्रार्थीगण के खेत आये हुए है जिनके बीच सीमा चिन्ह नहीं है। अप्रार्थीगण बरसात के दिनों में प्रार्थीगण के खेत की सीमा(सेढा) तोड़कर उनके अन्दर आ जाते है तथा कब्जे में हस्तक्षेप करते है। तहसीलदार रामसर के आदेश से पटवारी हल्का ने दिनांक 13.07.2017 को सीमाज्ञान किया तो श्री दलाराम व अप्रार्थी सं0 2 देवीसिंह ने प्रार्थीगण के खेत ख0 न0 587/241 व ख0न0 589/241 पर कब्जा करने का प्रयास किया व छीणों के टुकड़े

लगाने का प्रयास कर रहे है। अतः प्रार्थीगण के उपरोक्त ख0 न0 की कुल 111 बीघा 10 बिस्वा की पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश फरमावें। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, रामसर ने मौका फर्द दिनांक 13.02.2017 के आधार पर दिनांक 20.03.2018 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र एक तरफा स्वीकार कर तहसीलदार, रामसर को दोनो पक्षों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य कब्जा काश्त सम्बन्धी विवाद/मतभेद न हो तो पक्के नेखम स्थापित किये जावे। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार, रामसर ने बिना मौके पर गये तथा अपीलांटस अप्रार्थीगण को सूचित किये बिना ही ऑफिस में बैठकर तैयार की गयी रिपोर्ट बाबत नेखमबन्दी दिनांक 10.07.18 को उपखण्ड अधिकारी, रामसर के पेश की गई। अपीलांटस की भूमि की सीमा पर सेटलमेंट के समय जो माठ थी वही आज तक कायम है। अपीलांट देवीसिंह ने पटवारी हल्का खडीन से खातेदारी भूमि खसरा न0 246, 256, 593/247 की जमाबन्दी एवं खसरा न0 248, 257 एवं 594/247 एवं नक्शा ट्रेस की दिनांक 13.07.18 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो अपीलांट को पटवारी हल्का से मालुम हुआ कि उनकी भूमि में नेखमबन्दी की उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे रिपोर्ट पेश की है तो अपीलांट ने दिनांक 17.07.2018 को उपखण्ड अधिकारी रामसर के न्यायालय मे मालुम किया एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा नेखमबन्दी के लिये की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपी ली तो अपीलांटस को उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा पारित एक तरफा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 की जानकारी हुई। अतः जानकारी की तिथी से यह अपील अन्दर मियाद पेश है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट/अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल के एकतरफा कार्यवाही कर एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की गयी है। देवीसिंह एक अध्यापक है तथा वह दिनांक 22.09.2017 को गांव में था ही नही वह अपनी ड्यूटी पर था फिर भी देवीसिंह एवं उसके पिता के नोटिस पर देवीसिंह के फर्जी हस्ताक्षर से तामील बतायी है। इस तरह की फर्जी तामील को देखे बिना उनके विरूद्व एकतरफा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अपीलांट/अप्रार्थीगण की भूमि की न तो जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी न ही खसरान ही प्रार्थनापत्र में लिखे गये जिसके बिना रेस्पोडेंट्स का प्रार्थनापत्र ही अपूर्ण था। अतः त्रुटिपूर्ण प्रार्थनापत्र अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। पटवारी हल्का की एक तरफा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2017 में केवल ख0 न0 251 की उत्तरी सीमा पर ख0 न0 247 के खातेदार दलाराम का आंशिक कब्जा बताया गया है जबकि अपीलांट दलाराम की खातेदारी खेत के खसरा न0 594/247 है तथा रेस्पोडेन्टस के खेत के खसरा न0 251 नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट सं0 2 देवीसिंह पुत्र दलाराम किसी भी खसरान का खातेदार नहीं है उन्हे रेस्पोडेन्टस प्रार्थना पत्र में पक्षकार अप्रार्थी को बनाया उसका भी प्रार्थनापत्र में कोई कारण नहीं बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेकर्ड देखे एवं बिना जांच के प्रार्थनापत्र में लिखें तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सीमा विवाद का निस्तारण धारा 111 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार करना होता है जिसके लिये कब्जे की जांच की जाना आवश्यक है एवं कब्जा तीन माह से अधिक समय से पाया जावें तो ही धारा 128 के अंतर्गत किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के बारे में किसी प्रकार की जांच नहीं की तथा न ही यह निर्णित किया कि कब्जा किस पक्षकार का है। अतः अपीलाधीन सहज न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2017 में कब्जा ख0 न0 247 के काश्तकार का आंशिक कब्जा बताया है जबकि धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2017 के दिन स्वीकृत तौर से कब्जा अपीलान्ट प्रार्थीगण का है। अतः काबिज व्यक्ति को धारा 128 के अंतर्गत नेखमबन्दी की आड़ में बेदखल नहीं किया जा सकता। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 में स्पष्ट निर्देश दिये है कि तहसीलदार सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में एवं उक्त खसरा न0 के कब्जे काश्त सम्बंधी मतभेद/विवाद न हो तो ही पक्के नेखम स्थापित किये जावे। इन निर्देशों के अनुसार तहसीलदार ने अपीलांट अप्रार्थीगण को कोई नोटिस एवं सूचना नहीं दी। मौके पर कब्जे काश्त का विवाद पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2017 साबित होता है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नंबर 587/241 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न0 589/241 रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 596/251 रकबा 46 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 250 गैर मुमकिन, खसरा नंबर 245 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 244 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 237 रकबा 8 बिस्वा कुल रकबा 111 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसके वे रेकर्डेड खातेदारी है। हम प्रार्थीगण के खेतों के पास ही अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के खेत आये हुए है जिनके बीच सीमा चिन्ह अंकित नहीं है।

साथ ही यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण बरसात के दिनों में प्रार्थीगण के खेत की सीमा(सेढा) तोड़कर उनके अन्दर आ जाते है तथा कब्जे में हस्तक्षेप करते है। जिसका सीमाकंन करवाने हेतु आवेदन किया तब तहसीलदार रामसर के आदेश से पटवारी हल्का ने दिनांक 13.07.2017 को सीमाज्ञान किया तो श्री दलाराम व अप्रार्थी सं0 2 देवीसिंह ने प्रार्थीगण के खेत ख0 न0 587/241 व ख0न0 589/241 पर कब्जा करने

का प्रयास किया व छीणों के टुकड़े लगाने का प्रयास कर रहे है। अतः उन्हें पाबन्द किया जावें। साथ ही हम प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के उपरोक्त ख0 न0 की कुल 111 बीघा 10 बिस्वा की पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश फरमावें। जिस पर श्रीमान. प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में संस्थित पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये परन्तु अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, रामसर को दोनो पक्षों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरान की प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य कब्जा काश्त सम्बन्धी विवाद/मतभेद न हो तो पक्के नेखम स्थापित किये जाने के आदेश दिनांक 20.03.2018 को पारित किये गये है जो पूर्ण रूप से उचित है एवं बहाल रखे जाने योग्य है।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में जो तथ्य अंकित किये गये है वो पूर्णतया निराधार है। उन्हें प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण संस्थित कर पक्षकार बनाते हुए अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये, जो नोटिस बाद तामील होकर प्राप्त हुए थे जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलान्टस उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादन हेतु मौके पर सूचित किया गया। परन्तु मौके की तैयार की गई मौका फर्द पर अप्रार्थीगण के द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जो विधि अनुकूल व न्यायोचित है जिसे बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्थरगढी का आदेश पारित किये जाने से पूर्व दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में खसरान भूमि की सीमाज्ञान का अभाव पाया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में तहसीलदार, रामसर को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम प्रमाणित नक्शे के जरिये पुख्ता बिन्दुओं से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात नियमानुसार पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 20 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर